2

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
Salient features of the constitution)

संविधान के स्रोत Sources of the constitution

हमारा संविधान जिसे 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकार किया तथा जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, कुछ निश्चित स्रोतों की देन है।

1. ब्रिटिश, संसद द्वारा निर्मित अधिनियम (Laws made by the british parliament) ब्रिटिश शासकों ने भारत पर शासन करने हेतु कानूनी व्यवस्था स्थापित की, जिसका इतिहास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating act) से लेकर 1947 के भारत स्वतन्त्रता अधिनियम तक आता है। इनमे 1919 व 1935 के भारत सरकार अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। 1919 के एक्ट या मांटफो सुधारों ने द्वि-सदनात्मक संसद स्थापित की जो स्वतन्त्रता के आगमन तक चली।

2. विदेशी संविधानों से ली गयी व्यवस्थाएँ, Systems borrowed from foreign constitution

हमारे संविधान - निर्माताओं ने इस सूत्र को माना कि, जहाँ से गुण मिले, उसे ग्रहण किया जाये। वे संवैधानिक व्यवस्थाओं की व्यापक जानकारी रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपने देश की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुकूल व्यवस्थाओं की व्यापक जानकारी रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपने देश की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुकूल जो ठीक समझा उसे अन्य देशों के संविधानों से प्राप्त किया।

3. संविधान सभा की चर्चाएँ (Debates of the constituent assembly)